



2026/AHC:27655

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3377/2026

शिवाआवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मेराज अहमद खान

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया।

2. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में दो अन्य आरोपियों के साथ दर्ज है। एफ.आई.आर. में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आवेदक सहित सभी नामजद आरोपियों ने उसे एक स्थान पर ले जाकर बंधक बना लिया और एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया। धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि उसका सह-आरोपी सचिन से मित्रता का संबंध था। एक दिन सह-आरोपी सचिन ने शादी का वादा करके उसे एक किराए के कमरे में ले जाकर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। जब

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो उसने इनकार कर दिया और उस पर हमला किया। इसके बाद 20.09.2025 को वह वहां से भागने में सफल रही। इस प्रकार, पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। पीड़िता ने धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि 09.06.2025 को एफ.आई.आर. में नामजद सभी आरोपियों ने उसे एक वाहन में बैठाया और उसे किसी नशीले पदार्थ का सेवन कराकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई, उसकी वर्जिनिटी पुरानी, फटी हुई और ठीक हो चुकी पाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र 19 वर्ष थी। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यह एक झूठा मामला है और आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त मंशा के कारण झूठे और निराधार आरोपों के साथ इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इसके बाद वह तर्क देता है कि आवेदक 10.12.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक-शिवा को, बी.एन.एस. की धारा 70(1), 115(2), 123, 127(2) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 1003/2025 में, पुलिस स्टेशन- मझोला, जिला- मुरादाबाद में, व्यक्तिगत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मुचलका निष्पादित करने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो स्थानीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से रोके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"